झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 2655 / 2023

करण सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता स्वर्गीय रघुनाथ सिंह, निवासी गांव- जपकाकोना, बीरू- डाकघर- बीरू, थाना.- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. मुरली सिंह, पुत्र नंदकिशोर सिंह, निवासी गांव- जपकाकोना, बीरू, डाकघर - बीरू, थाना - सिमडेगा, जिला- सिमडेगा

.....विपक्षी पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से :	श्री गौरव, अधिवक्ता
राज्य की ओर से :	श्री शैलेश कुमार सिन्हा, अपर पीपी
ओ.पी. संख्या 2 के लिए:	श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें सिमडेगा थाना मामला संख्या 88/2018 (एसटी संख्या 05/2019) के संबंध में दिनांक 01.09.2018 को संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324, 307 के तहत दंडनीय अपराध शामिल हैं, जो विद्वान सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विपक्षी पक्षकार संख्या 2-सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय का ध्यान संक्षिप्त विवरण के पृष्ठ संख्या 13 की ओर आकृष्ट किया गया है, जो कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा की अदालत में पक्षों द्वारा दायर संयुक्त समझौता याचिका की प्रमाणित प्रति है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता और पीड़ित-सूचनाकर्ता चचेरे भाई हैं, और उन्होंने विवाद को सुलझा लिया है और उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल हो गए हैं, इसलिए वे एक साथ रह रहे हैं। आगे यह भी कहा गया है कि इसलिए, सूचनाकर्ता मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि घटना की उत्पत्ति एक छोटा सा विवाद है, क्योंकि पीड़ित याचिकाकर्ता के काम के सिलसिले में अपने चचेरे भाई के साथ जंगल में नहीं गया था तथा क्रोधित होकर याचिकाकर्ता ने सूचनाकर्ता पर हमला कर दिया। आगे यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पीड़ित को जान से मारने की नीयत से हमला किया, बल्कि यह घटना क्षणिक आवेश में हुई, हालांकि आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है, लेकिन अपराध को गंभीर बनाने के लिए आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध को एफआईआर में जोड़ दिया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 2 के बीच पूर्ण और अंतिम समझौते के मद्देनजर विपक्षी संख्या 2 मामले को आगे बढ़ाने का इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है, इसलिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए यह भी कहा गया है कि सिमडेगा पुलिस स्टेशन केस संख्या के संबंध में दिनांक 01.09.2018 को संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही 88 ऑफ 2018(एस.टी. सं. 05 ऑफ 2019) को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

5. बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य(2014) 6 एससीसी 466 में रिपोर्ट** किए गए मामले में, पैराग्राफ 29 में, उन सिद्धांतों को निर्धारित किया है, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय पक्षों के बीच समझौते को पर्याप्त उपचार देने और समझौते को

स्वीकार करते समय धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने और कार्यवाही को रद्द करने में निर्देशित होगा, जो इस प्रकार है:

"**29.** उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हम निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करते हैं और निर्धारित करते हैं, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय पक्षों के बीच समझौते को पर्याप्त उपचार देने और समझौते को स्वीकार करते समय संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने और कार्यवाही को रद्द करने या आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के निर्देश के साथ समझौते को स्वीकार करने से इनकार करने में निर्देशित होगा:

29.1. संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति को संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को शमन करने की न्यायालय में निहित शक्ति से अलग किया जाना चाहिए। निस्संदेह, संहिता की धारा 482 के तहत, उच्च न्यायालय के पास उन मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है जो शमनीय नहीं हैं, जहां पक्षों ने आपस में मामले का निपटारा कर लिया है। हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

29.2. जब पक्षकार समझौते पर पहुँच जाते हैं और उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाती है, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक यह सुनिश्चित करना होगा:

(i) न्याय के उद्देश्य, या

(ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना।

शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उपर्युक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक पर राय बनानी होती है।

29.3. ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोगों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानून के तहत किए गए कथित अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए

गए अपराधों को केवल पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

29.4. दूसरी ओर, वे आपराधिक मामले जो मुख्य रूप से सिविल प्रकृति के हैं, विशेष रूप से वे जो वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होते हैं या वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें तब रद्द किया जाना चाहिए जब पक्षकार अपने बीच अपने पूरे विवादों को सुलझा लें।

29.5. अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को यह जांच करनी है कि क्या दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामलों को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और आपराधिक मामलों को रद्द न करने से उसके साथ बहुत अधिक अन्याय होगा।

29.6. धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें आम तौर पर समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है, न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ। हालांकि, उच्च न्यायालय केवल इसलिए अपना निर्णय नहीं लेगा क्योंकि एफआईआर में धारा 307 आईपीसी का उल्लेख है या इस प्रावधान के तहत आरोप तय किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करना खुला होगा कि क्या धारा 307 आईपीसी को शामिल करना इसके लिए है या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं, जो साबित होने पर धारा 307 आईपीसी के तहत आरोप साबित करने में मदद करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय को लगी चोट की प्रकृति, चाहे ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक अंगों पर लगी हो, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति आदि के आधार पर जाना होगा। पीड़ित द्वारा झेली गई चोटों के संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट आम तौर पर मार्गदर्शक कारक हो सकती है। इस प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या दोषसिद्धि की प्रबल संभावना है या दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम और धूमिल है। पहले मामले में यह समझौता स्वीकार करने से इनकार कर सकता है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है जबकि दूसरे मामले में उच्च न्यायालय के लिए पक्षों के बीच पूर्ण समझौते के आधार पर अपराध को कम करने की दलील को स्वीकार करना स्वीकार्य होगा। इस स्तर पर, न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित

हो सकता है कि पक्षों के बीच समझौते के परिणामस्वरूप उनके बीच सद्भाव पैदा होगा जो उनके भविष्य के संबंधों को बेहतर बना सकता है।

29.7. संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने या न करने का निर्णय लेते समय, समझौते का समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे मामले जिनमें कथित अपराध के तुरंत बाद समझौता हो जाता है और मामला अभी भी जांच के अधीन है, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही/जांच को रद्द करने के लिए समझौते को स्वीकार करने में उदारता दिखा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्तर पर जांच अभी भी जारी है और आरोप-पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। इसी तरह, ऐसे मामले जहां आरोप तय हो चुका है लेकिन सबूत अभी शुरू नहीं हुए हैं या सबूत अभी भी प्रारंभिक अवस्था में हैं, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का अनुकूल रूप से प्रयोग करने में उदारता दिखा सकता है, लेकिन ऊपर वर्णित परिस्थितियों/सामग्री का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने के बाद। दूसरी ओर, जहां अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है या साक्ष्य के समापन के बाद मामला बहस के चरण में है, सामान्यतः उच्च न्यायालय को धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट मामले को अंतिम रूप से गुण-दोष के आधार पर तय करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में होगा कि धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध किया गया है या नहीं। इसी तरह, उन मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पहले ही दर्ज कर ली गई है और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय चरण में है, पक्षों के बीच केवल समझौता ही उसी परिणाम को स्वीकार करने का आधार नहीं होगा।

6. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि पक्षों के बीच विवाद मुख्यतः भाइयों के बीच पारिवारिक विवाद है और पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है। इस प्रकार मामले को जारी रखने से अभियुक्तों पर अत्याचार और पक्षपात होगा और इस आपराधिक मामले को रद्द न करने से घोर अन्याय होगा और आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के हित में, सिमडेगा थाना केस संख्या 88/2018 (एस.टी. संख्या 05/2019) के संबंध में दिनांक 01.09.2018 को संज्ञान लेने

के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए।

7. तदनुसार, सिमडेगा पी.एस. मामला संख्या 88/2018 (एस.टी. संख्या 05/2019) के संबंध में दिनांक 01.09.2018 को संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है।

8. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकार की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक-21/12/2024
स्मिता / AFR

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।